विविध आवेदन से सम्बन्धित

गजरौला महायोजना–2031 प्रारूप पर प्राप्त आपत्तियों पर प्राप्त आवेदन पत्रों के सम्बन्ध में।

क्र0सं0	सुनवाई की तिथि	आ0सं0	आवेदनकर्ता का नाम	पता	आपत्ति
1	04.12.2021 11:00 बजे	5	श्री सुबोध कुमार सिंघल प्रान्तीय संगठन मन्त्री, उत्तर प्रदेश व्यापार मण्डल, मोबा0– 9837006612	शुक्लापुरी, धनौरा रोड़, गजरौला, अमरोहा।	स्थलीय निरीक्षण की बारीकी से जांच किए बिना रजिस्ट्री विभाग द्वारा आवासीय, व्यवसायिक भूमि के क्रय–विक्रय पत्रों की जानकारी के बिना गलत प्रकार से भू–उपयोग दर्शाया गया है। स्टेट हाइवे– 51 गजरौला धनौरा चांदपुर मार्ग रेलवे क्रॉसिंग के दोनो ओर कॉमर्शियल, आवासीय गतिविधियां संचालित हो रही है, जबकि मानचित्र में कृषि भूमि दर्शायी गयी है। हरीत पट्टी को हटाते हुए कम से कम दो गाटा क्षेत्र 500 मी0 दोनो ओर व्यवसायिक, आवासीय ग्रामीण भू–उपयोग दर्शाया जाए। प्रचार प्रसार लाउडस्पीकर तथा जगह–जगह गोष्ठी कर योजना के लाभ व हानी के साथ पूरे विनिर्मित क्षेत्र कस्बे में किया जाये रजिस्ट्री कार्यालय से रिकार्ड पाप्त कर उसके अनुसार आवासीय, व्यवसायिक या अन्य भू–उपयोग दर्शाया जाये।
2	04.12.2021 11:00 बजे	6	डा0 रविन्द्र शुक्ला मोबा0–9917706033	शुक्लापुरी, धनौरा गजरौला, जनपद अमरोहा उ0प्र0।	भौतिक स्थलीय निरीक्षण न करके कल्पनिक रूप से महायोजना–2031 तैयार कर जारी कर दी गयी है जो जनहित/सर्व साधारण हित में मान्य नहीं है। स्थलीय स्थिति को नजर अन्दाज कर व्यवसायिक, मकान दुकान, आबादी की पूर्णतः नगर अन्दाज किया गया ह। महोयोजना सूचना का प्रचार–प्रसार लाउडस्पीकर, पम्पलेट, होर्डिंग, बैनर, व अधिशासी कर्मचारियों द्वारा व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाना बेहद आवश्यक बताया गया है। समाचार पत्रों में बडें साइज में विश्ष्टियों का प्रकाशन हो सुझाव दिया गया है।

3	**04.12.2021 11:00 बजे**	**7**	श्री सुबोध कुमार सिंघल, मोबा0– 9837006612	शुक्लापुरी, धनौरा रोड़, गजरौला, अमरोहा।	ग्राम कृपानाथपुर, धनौरा स्थित गाटा सं0– 84 को अपने निजी व्यवसाय एवं आवासीय जरूरत के लिए खरीदा है मेरी भूमि के आसपास आवासीय/कॉमशियल गतिविधि संचालित है। उपजिलाधिकारी महोदय धनौरा के यहां से भू–उपयोग (143) आवासीय में परिवर्तन के लिए आवेदन लम्बित है। मेरी भूमि को मानचित्र में आवासीय/कॉमशियल में दर्ज करें।
4	**04.12.2021 11:00 बजे**	**8**	श्री सुबोध कुमार सिंघल, मोबा0– 9837006612	शुक्लापुरी, धनौरा रोड़, गजरौला, अमरोहा।	महायोजना–2031 प्रारूप काल्पनिक रूप से तैयार किया गया है। भौतिक/स्थलीय न करते हुए तैयार किया गया है। राजस्व अभिलेखों के अनुसार आवासीय, व्यवसायिक, आबादी, दुकान आदि को पूरी तरह से नगर अन्दाज किया गया है। पेट्रोल पम्प, होटल, स्कूल, रेस्टोरेन्ट व अन्य गतिविधियों को मानचित्र मे प्रदर्शित नही किया गया है। अतः महायोजना प्रारूप मान्य नही है। पर्यावरण एवं वन्य जीव सूक्ष्म संरक्षण हेतु महायोजना को पर्यावणीय अनुकूलन बनाते हुए सभी के जान माल की रक्षा की जा सके। प्रारूप हेतु प्रचार–प्रसार, लाउड़स्पीकर, पम्पलैट, होर्डिंग बैनर आदि के माध्यम के साथ–साथ आधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाना चाहिए समाचार पत्रों में बड़ी विज्ञाप्ति प्रकाशित किया जाना न्यायहित होगा।
5	**04.12.2021 11:00 बजे**	**9**	श्री भूपाल सिंह पोसवाल पुत्र स्व0 श्री मुख्तयार सिंह मोबा0–8218071826	निवासी– ग्राम शहबाजपुर डोर तहसील हसनपुर, जिला अमरोहा।	आवेदक द्वारा ग्राम शहबाजपुर डोर, में सड़क किनारे खेत में 4 वर्ष पूर्व मकान बनाये जाने की उल्लेख किया गया है। उसके मकान को कृषि भूमि दर्शा कर सड़क ग्राम तिगरी को निकाली जा रही है। जिससे प्रार्थी का निर्माण धवस्त होता है तो उसको भविष्य खराब हो जायेगा। तथा वह वेसहारा हो जायेगा, उसकी भूमि के साथ–साथ अन्य खेतो को कृषि भूमि नही दर्शाया गया है।

6	**04.12.2021 11:00 बजे**	**45**	श्री शकूर अहमद	निवासी– ग्राम शहबाजपुर डोर गजरौला, जिला अमरोहा।	1. आवेदक द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्राम शहबाजपुर डोर में 30 वर्षो की मेहनत मजदूरी कर उसने एन0एच0–24 के किनारे अपना घर बनाया ह। और मेरे घर के पास 40–45 वर्षो से आबादी है। आवेदक को सूत्रों के द्वारा ज्ञात हुआ है कि महायोजना–2031 में सडक के निर्माण की योजना निकाली गयी है। अगर योजना के निर्माण पर अमल हो रहा है तो हम मजदूरों की वर्षो की कमाई नष्ट हो जायेगी। आवेदक द्वारा उक्त योजना पर उचित विचार कर वदलाब करने का अनुरोध किया गया है। 2. अनूप खान द्वारा अवगत कराया गया है कि उसने मेहनत मजदूरी कर एन0एच0–24 के किनारे होटल बनाया है, जो पिछले 12 वर्षो से चल रहा है। आवेदक के होटल के पास 02 होटल गाटा सं0 742/1 में संचालित है। सूत्रों द्वारा ज्ञात हुआ है कि महायोजना–2031 में होटल की जगह में सडक निकाली जा रही है। यदि होटल नष्ट हो जाता है तो उनके साथ–साथ लगभग 70 लोगों का रोजगार है वह बेरोजगार हो जायेगे। अगर इस प्रकार योजना में अमल लाई गयी जा रही है, तो उसमें बदलाव का अनुरोध किया गया है। 3. आवेदक द्वारा अवगत कराया ह कि 40 वर्षो से सडक किनारे मकान बनाकर निवास कर रहा है। सूत्रो द्वारा ज्ञात हुआ प्रार्थी को भूमि मे से सडक का निर्माण हो रहा है। आवेदक द्वारा महायोजना–2031 में विचार कर वदलाब करने का अनुरोध किया गया है।
7	**04.12.2021 11:00 बजे**	**49**	श्री शकूर अहमद मोबा0–9536589786	निवासी– ग्राम शहबाजपुर डोर गजरौला, जिला अमरोहा।	आपत्ति सं0–45 क अनुसार

8	**04.12.2021 11:00 बजे**	**56**	श्री शेलेश कुमार गर्ग पुत्र श्री विनोद कुमार गर्ग मोबा0–7455863730 नगर संगठन मंत्री व्यापार नगर मण्डल गजरौला ।	निवासी– मौ0 अवन्तिका नगर, गजरौला अमरोहा।	एम0डी0ए0 द्वारा महायोजना–2031 मानचित्र स्थलीय मौके की स्थिति आबादी, मकान, दुकाने, क्षेत्र एवं हो रही गतिविधिया को नगर अन्दाज करते हुए एवं रजिस्ट्री विभाग द्वारा प्लाटों के क्रय–विक्रय जानकारी के बिना एस0डी0एम0 महोदय के भू–उपयोग धारा–143 परिवर्तित आदेशो की अवहेलना करते हुए भू–उपयोग निर्धारण विधि सम्मत नही है जो कि आपत्तिजनक है। महायोजना–2031 मे विभिन्न उपयोगो हेतु जिस पर भूमि की आवश्यकता है। उसके लिए एम0डी0ए0 वर्तमान में संचालित गतिविधियों के बिना डिस्टर्व किये नयी भूमि खरीद कर अपनी महायोजना–2031 को साकार करना उपयोगी होगा। एम0डी0ए0 गजरौला विनिमित क्षेत्र स्थलीय निरीक्षण कर हरीत पट्टी को हटाते हुए सड़कों के मध्य दोनों ओर लगभग 500 मीटर की त्रिज्या तक भू–उपयोग आवासीय व व्यवसायिक दर्शाया जाये वतमान में उपयोगित भूमि को निजि प्रयोजन के लिए खरीदी गयी भूमि को उसके मालिक की सहमति बिना उसके भू–उपयोग न बदला जाये।
9	**04.12.2021 11:00 बजे**	**63**	श्री नन्हे पुत्र श्री अल्ला दिया मोबा0–9690664321	निवासी– 162, मस्जिद वाली गली निकट, मछली मण्डी, गजरौला।	प्रार्थी का मकान मछली मण्डी के पास स्थित है, जो गजरौला चौपला से दिल्ली रोड के ब्रायी साइड पर पेट्रोल पम्प के बराबर वाले रास्ते पर है। महायोजना–2031 में बीच आबादी से मछली मण्डी को हटाना नही दर्शाया गया है। आवेदक द्वारा आबादी से दूर भेजे जाने का अनुरोध किया गया है।
10	**04.12.2021 11:00 बजे**	**111**	श्री रामकिशन सिंह पुत्र श्री जसराम	निवासी– ग्राम भानपुर खालसा, गजरौला, तहसील धनौरा जिला अमरोहा।	आवेदक द्वारा अपने पत्र में गाटा व क्षेत्रफल का उल्लेख नहीं किया गया है।

11	**04.12.2021 11:00 बजे**	**120**	श्री सुबोध कुमार सिंघल, प्रान्तीय संगठन मंत्री, उत्तर प्रदेश मण्डल (पंजी0) मोबा0–9837006612	धनौरा रोड़, शुक्लपुरी, गजरौला जिला अमरोहा (उत्तर प्रदेश) 244235	स्टेट हाईवे 51 गजरौला धनौरा चांदपुर मार्ग रेलवे क्रॉसिंग फाजलपुर से प्रारम्भ होकर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण विनियमित क्षेत्र सीमा तक सडक मार्ग के दोनो ओर कॉमशियल आवासीय गतिविधियां संचालित है, जबकि महायोजना 2031 में कृषि भूमि क्षेत्र दर्शाया गया है। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण विनिमियत क्षेत्र गजरौला में सभी मुख्या एवं सम्पर्क मार्गो के दोनो साइड़ कि किसानों द्वारा अपने खेतो को प्लॉट करके बेचा गया है। जिसका रिकार्ड रजिस्ट्री कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। जिनका उपयोग भी आवासीय/व्यवसायिक में हो रहा है। आवेदक द्वारा मुख्य एवं सम्पर्क मार्गो के दोनो किनारों की जमीनों को व्यवसायिक/आवासीय करने का अनुरोध किया गया है।
12	**04.12.2021 11:00 बजे**	**138**	श्रीमती त्रिवेश पत्नी श्री विजय प्रकाश व श्रीमती पूजा मित्तल पत्नी श्री ज्ञानेन्द्र मित्तल	निवासी– मौहल्ला बैंक कालोनी, गजरौला व निवासी– लक्ष्मीनगर, गजरौला जपनद अमरोहा।	ग्राम भानपुर खालसा स्थित गाटा सं0–198 रकबा 0.0300 है0 भूमि की स्वामी है। आवेदक द्वारा अनुरोध किया गया है कि सड़क मार्ग के दोनो ओर 500 मीटर तक हरित पट्‌टी हटाते हुए भू–उपयोग व्यवसायिक व आवासीय दर्शाया जाये ।
13	**04.12.2021 11:00 बजे**	**161**	श्री मदनपाल सिंह, श्री जीत सिंह पुत्रगण श्री करन सिह मोबा0–9917434400	निवासी– ग्राम सलारपुर तहसील धनौरा जिला अमरोहा।	एन0एच0–09 स्थित ग्राम सलारपुर के गाटा सं0–9 की भूमि को महायोजना–2031 के मानचित्र में बस अड्‌डा/कार्यशाला/सेक्टर पार्क प्रदार्शित किया गया है। जबकि उक्त के आस–पास व्यवसायिक/आवासीय गतिविधि विद्यमान है, जिसमें प्रार्थियों के 02 मकान व व्यवसायिक भवन लगभग 30 वर्षो से विद्यमान है। आवेदकगणों द्वारा उक्त गाटे की भूमि का भू–उपयोग महायोजना–2031 मानचित्र में व्यवसायिक/आवासीय श्रेणी में रखे जाने का अनुरोध किया गया है।
14	**04.12.2021 11:00 बजे**	**162**	श्री राजवीर सिंह, श्री जीत सिंह पुत्रगण श्री शिवचरण सिंह मोबा0–9812038411, 8318270694	निवासी– ग्राम सलारपुर तहसील धनौरा जिला अमरोहा।	एन0एच0–09 स्थित ग्राम सलारपुर के गाटा सं0–7 क्षेत्रफल 0.615 है0 भूमि को महायोजना–2031 मानचित्र में बस अड्‌डा/कार्याशाला/सेक्टर पार्क दर्शाया गया है, जबकि स्थल पर तीन मकान व दुकाने पिछले 40 वर्षो से विद्यमान है। आवेदकगणों द्वारा उक्त गाटे की भूमि का भू–उपयोग महायोजना–2031 के मानचित्र में व्यवसायिक/आवासीय श्रेणी में रखे जाने का अनुरोध किया गया ह।

15	**04.12.2021** **11:00 बजे**	**183**	श्री सिद्धार्थ भारत मोबा0–7900801201, 9412411201	निवासी– चौधरी चरण सिंह चौक, गजरौला, अमरोहा।	गाटा सं0–217 है0 ग्राम भानपुर तहसील धनौरा (गजरौला) महायोजना–2031 के विस्तार का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। आवेदक द्वारा महायोजना–2031 के विरूद्ध अपनी आपत्ति दर्ज कर अपना सुझाव दिया गया है। कि नौ वर्ष पूर्व सर्वे के आधार पर महायोजना लागू न करते हुए वर्तमान भौगलिक परिस्थिति के परिवर्तन के आधार पर नवीन सर्वे करा कर उक्त योजना को लागू किया जाये।
16	**04.12.2021** **11:00 बजे**	**260**	श्री विजेन्द्र सिंह, श्री जितेन्द्र सिंह पुत्रगण श्री हरगोविन्द सिंह	निवासी– ग्राम दरियापुर बुजुर्ग तहसील धनौरा, जिला अमरोहा।	भूमि सं0–455 क्षेत्रफल 2.829 है0 ग्राम दरियापुर बुजुर्ग तहसील धनौरा जिला अमरोहा महायोजना–2031 में उक्त भूमि को प्रस्तावित मार्ग संकेतिका में दर्शाया गया है। जबकि उक्त भूमि पर व्यवसायिक/आवासीय गतिविधियां विद्यमान है। जिसमें दो मोबाइल टावर व ढाबा आदि निर्मित है। आवेदक द्वारा प्रश्नगत भूमि को आवासीय/व्यवसायिक भूमि में अंकित करने का अनुरोध किया गया है। उक्त भूमि को आवासीय/अकृषिक भूमि घोषित कराने के लिए उपजिलाधिकारी महोदय धनौरा के न्यायालय में कार्यालय में कार्यवाही गतिमान है।
17	**04.12.2021** **11:00 बजे**	**263**	श्री विजेन्द्र सिंह, श्री जितेन्द्र सिंह पुत्रगण श्री हरगोविन्द सिंह	निवासी– ग्राम दरियापुर बुजुर्ग तहसील धनौरा, जिला अमरोहा।	आपत्ति संख्या–260 के अनुसार संख्या व नाम
18	**04.12.2021** **11:00 बजे**	**264**	श्री विजेन्द्र सिंह, श्री जितेन्द्र सिंह पुत्रगण श्री हरगोविन्द सिंह	निवासी– ग्राम दरियापुर बुजुर्ग तहसील धनौरा, जिला अमरोहा।	आपत्ति संख्या–260 के अनुसार संख्या व नाम